संख्या-136/2017/2134/22-2-2016-17(112)/2008

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 07 मार्च, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हीरालाल पुत्र श्री रामदीन हरिजन, निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हीरालाल पुत्र श्री रामदीन हरिजन, निवासी ग्राम-फत्तेपुर, हाल पता-अजमेरी बादशाहपुर, थाना- टाण्डा, जनपद-अम्बेडकरनगर का रहने वाला है। दिनांक 18.08.1988 को दोपहर 03:00 बजे पूर्व में हुए आम तोड़ने के विवाद को लेकर हुई कहासुनी व थप्पड मारे जाने को लेकर विपक्षी सहदेव को चाकू मारकर घायल कर दिया अस्पताल ले जाते समय रास्ते में सहदेव की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-462/1988 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद द्वारा दिनांक 21.04.1990 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की उम्र-48 वर्ष 09 माह 14 दिन है। बन्दी द्वारा दिनांक 22.01.2016 तक 21 वर्ष 10 माह 14 दिन की अपरिहार तथा 28 वर्ष 07 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुसार अभियुक्त ने जघन्य अपराध कारित किया है जो कि समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आता है, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने में सक्षम प्रतीत होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति सामान्य होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला प्रोबेशन अधिकारी के अनुसार बन्दी का कृत्य जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, जो समाज को व्यापक रूप प्रभावित करने की श्रेणी में आता है, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने एवं जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा पूर्व में हुये आम तोड़ने के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तुच्छ विवाद को लेकर चाकू मारकर सहदेव नामक व्यक्ति की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु 48 वर्ष 09 माह लगभग तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त् नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हीरालाल पुत्र श्री रामदीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हीरालाल (बन्दी संख्या-243/2007) पुत्र श्री रामदीन, निवासी जनपद- अम्बेडकरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-136/2017/2134(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-अम्बेडकरनगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-136/2017/2134@22-2-2016-17(112)/2008

दिनांक 07 मार्च, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हीरालाल पुत्र श्री रामदीन हरिजन, निवासी ग्राम-फत्तेपुर, हाल पता-अजमेरी बादशाहपुर, थाना- टाण्डा, जनपद-अम्बेडकरनगर का रहने वाला है। दिनांक 18.08.1988 को दोपहर 03:00 बजे पूर्व में हुए आम तोड़ने के विवाद को लेकर हुई कहासुनी व थप्पड मारे जाने को लेकर विपक्षी सहदेव को चाकू मारकर घायल कर दिया अस्पताल ले जाते समय रास्ते में सहदेव की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-462/1988 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद द्वारा दिनांक 21.04.1990 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की उम्र-48 वर्ष 09 माह 14 दिन है। बन्दी द्वारा दिनांक 22.01.2016 तक 21 वर्ष 10 माह 14 दिन की अपरिहार तथा 28 वर्ष 07 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुसार अभियुक्त ने जघन्य अपराध कारित किया है जो कि समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आता है, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने में सक्षम प्रतीत होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति सामान्य होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला प्रोबेशन अधिकारी के अनुसार बन्दी का कृत्य जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, जो समाज को व्यापक रूप प्रभावित करने की श्रेणी में आता है, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने एवं जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा पूर्व में हुये आम तोड़ने के तुच्छ विवाद को लेकर चाकू मारकर सहदेव नामक व्यक्ति की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु 48 वर्ष 09 माह लगभग तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त् नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हीरालाल पुत्र श्री रामदीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in